



राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला-बाड़मेर

प्रार्थी 1. सरखी पुत्र हरचन्द निवासी सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	विप्रार्थीगण 1. पांचाराम पुत्र फगलूराम निवासी मोगावा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 2. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार एवं उप पंजीयक सेड़वा।
--	--

मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु.न...../2025

12/01/25 प्रार्थी सरखी पुत्र हरचन्द निवासी सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता आम्बाराम पूनड़ वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया है, जो कि दर्ज रजिस्टर किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र के संलग्न तहसील सेड़वा के मौजा सिंहानिया पटवार क्षेत्र अरटी भू.अ.नि. अरटी के खाता संख्या नया 414 के खसरा संख्या 1053/1009 रकबा 0.1483 हैक्टेयर किस्म बाराणी सोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुरूप बहस करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचार किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई। प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के परीक्षणोपरांत प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की अप्रार्थीगण के विरुद्ध पारित की जाती है कि वे प्रार्थी को आगामी तारीख पेशी तक तहसील सेड़वा के मौजा सिंहानिया पटवार क्षेत्र अरटी भू.अ.नि. अरटी के खाता संख्या नया 414 के खसरा संख्या 1053/1009 रकबा 0.1483 हैक्टेयर किस्म बाराणी सोयम भूमि के राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, प्रार्थी के कब्जे-काश्त में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें तथा प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें। मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

न्यायालय द्वारा इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु आगामी 7 दिवस में रजि.ए.डी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थीगण वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करें। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख 13/02/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

13/02/25 अस्थाई निषेधाज्ञा पेशी हुई। पीठाधीन अधिकारी दिग्गज कक्षों में व्यस्त है, मिसल इत्यादि होकर फाइल की पूर्ण जांच के लिए निर्धारित दिनांक 24/04/25 को पेश हो।

समाप्त

21/03/25 आक्ली पेशी हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी के निवेदन पर आक्ली पेशी पर ली गई। चूंकि मूलवाद को जरिए बिट्टो खारिज किया जा चुका है तो इस आवेदन को भणो चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस आवेदन की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। आक्ली पेशी नुसार टीकर मूलवाद के संलग्न हो।

